1 अप्रैल 2025 - 30 जून 2025 के लिए लोड और ब्रोकरेज - ARN 4481 - बैंक ऑफ इंडिया		
स्कीम का नाम	**एग्ज़िट लोड**	**प्रथम वर्ष से आगे का ट्रेल (प्रतिवर्ष%)**
इक्विटी फंड्स		
बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड	• आवंटन की तिथि से 3 महीने के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: 1% एग्ज़िट लोड • यूनिटों के आवंटन की तिथि से 3 महीने के बाद कोई भी रिडेम्पशन/स्विच आउट: शून्य	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड	• आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के 10% तक रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: "शून्य" • उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा कोई भी रिडेम्पशन/स्विच आउट 1% के एग्ज़िट लोड के अधीन होगा, अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है। • अगर यूनिटों को यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के बाद रिडीम/स्विच आउट किया जाता है: "शून्य"	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड	•शून्य - आवंटित यूनिटों के 10% तक रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए आवंटन की तारीख से 3 महीने के अंदर तक कोई एग्ज़िट लोड नहीं होगा। •1% - उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट पर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, अगर यूनिटों को आवंटन की तारीख से 3 महीने के अंदर रिडीम/स्विच आउट किया जाता है। •शून्य - इकाइयों के आवंटन की तारीख से 3 महीने के बाद किसी भी रिडेम्पश/स्विच आउट पर कोई एग्ज़िट लोड नहीं होगा।	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया कंज़म्प्शन फंड	• अगर आवंटन की तिथि से 3 महीने के अंदर रिडेम्पशन/स्विच-आउट किया जाता है: 10% निवेश के लिए-:शून्य शेष निवेश के लिए:1% • अगर आवंटन की तिथि से 3 महीने के बाद रिडेम्पशन/स्विच-आउट किया जाता है: शून्य	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	• आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवंटित आरंभिक यूनिटों के 10% तक के रिडेम्प्शन/स्विच आउट के लिए: "शून्य" • उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा कोई भी रिडेम्प्शन/स्विच आउट 1% के एग्ज़िट लोड के अधीन होगा, अगर यूनिटों को आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर रिडीम/स्विच आउट किया जाता है। • अगर यूनिटों को आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के बाद रिडीम/स्विच आउट किया जाता है: "शून्य"	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया मल्टीकैप फंड	• आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के 10% तक के रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: "शून्य" • उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट पर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है। • अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के बाद यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है: "शून्य"	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर	**शून्य**	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड	• आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के 10% तक के रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: "शून्य" • उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट पर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है। • अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के बाद यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है: "शून्य"	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड	आवंटन की तिथि से 3 महीने के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: 1% एग्ज़िट लोड • 3 महीने के बाद यूनिटों के आवंटन की तिथि से किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट पर: शून्य	**0.45%**
हाइब्रिड फंड		
बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	• आवंटन की तिथि से 3 महीने के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: 1% एग्ज़िट लोड • 3 महीने के बाद यूनिटों के आवंटन की तिथि से किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट पर: शून्य	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया कंज़र्वेटिव हाइब्रिड फंड	• आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के 10% तक के रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: "शून्य" • उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट पर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है। • अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के बाद यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है: "शून्य"	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड	• आवंटन की तिथि से 3 महीने के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: 1% एग्ज़िट लोड • 3 महीने के बाद यूनिटों के आवंटन की तिथि से किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट पर: शून्य	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड	• आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के 10% तक के रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए: "शून्य" • उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट पर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है। • अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के बाद यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है: "शून्य"	**0.45%**
बैंक ऑफ इंडिया आर्बिट्रेज फंड	• रिडेम्पशन/स्विच आउट के लिए - आवंटन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवंटित प्रारंभिक यूनिटों के 10% तक - "शून्य" • किसी भी रिडेम्पशन/स्विच आउट - उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा 0.50% के एग्ज़िट लोड के अधीन होगा, अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 30 दिनों के अंदर यूनिटों को स्विच किया जाता है। • अगर यूनिटों के आवंटन की तिथि से 30 दिनों के बाद यूनिटों को रिडीम/स्विच आउट किया जाता है - "शून्य"	**0.25%**

<table>
<tr><th colspan="3">डेट फंड्स</th></tr>
<tr><td>बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड</td><td>शून्य</td><td>0.10%</td></tr>
<tr><td>बैंक ऑफ इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड</td><td>शून्य</td><td>0.10%</td></tr>
<tr><td>बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट फंड</td><td>शून्य</td><td>0.10%</td></tr>
<tr><td>बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड</td><td><table><tr><th>सब्सक्रिप्शन निवेशक के एग्ज़िट लेने का समय</th><th>एग्ज़िट लोड (रिडेम्पशन आय के प्रतिशत के रूप में)</th></tr><tr><td>1 दिन</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>2 दिन</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>3 दिन</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>4 दिन</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>5 दिन</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>6 दिन</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>7 दिन या उससे ज़्यादा</td><td>शून्य</td></tr></table></td><td>0.03%</td></tr>
<tr><td>बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड</td><td>शून्य</td><td>0.02%</td></tr>
<tr><td>बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड</td><td>• आवंटन की तिथि से 12 महीने के अंदर रिडीम किया गया तो 4%
• आवंटन की तिथि से 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने के अंदर रिडीम किया गया तो 3%
• आवंटन की तिथि से 24 महीने के बाद लेकिन 36 महीने के अंदर रिडीम किया गया तो 2%
• आवंटन की तिथि से 36 महीने के बाद अंदर रिडीम किया गया तो कोई ब्याज नहीं</td><td>शून्य</td></tr>
</table>

नियम और शर्तें:

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त कमीशन दरें सेबी / एएमएफआई की प्रचलित प्रथाओं से विनियामक दिशानिर्देशों के मद्देनज़र आवश्यक परिवर्तन के मामले में संशोधन के अधीन हैं।

1. कमीशन दरें सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के पैनल में शामिल वितरकों पर लागू हैं।

2. कमीशन दर सभी खरीद (स्विच, एसआईपी और एसटीपी आदि सहित) के लिए लागू है।

3. वार्षिक कमीशन सकल आधार पर होगा और इसमें वैधानिक शुल्क और कर, अगर कोई हो, शामिल होंगे। वार्षिक कमीशन की गणना एनएवी पर "दैनिक औसत एसेट" के आधार पर की जाएगी और मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

4. एसआईपी/एसटीपी के लिए कमीशन भुगतान ट्रेड तिथि पर आधारित होगा न कि पंजीकरण तिथि के आधार पर।

5. कमीशन संबंधित योजनाओं के वर्तमान कुल व्यय अनुपात पर आधारित है, व्यय अनुपात में किसी भी परिवर्तन से कमीशन दर में परिवर्तन ज़रूर हो सकता है।

6. एएमसी वितरकों को सिर्फ ट्रेल कमीशन का भुगतान करेगी।

7. कमीशन दर समय-समय पर संशोधित सेबी विनियमों/एएमएफआई परिपत्रों के प्रावधान के अधीन लागू होगी।

8. कृपया मौजूदा कुल व्यय अनुपात (टीईआर), मौजूदा निकास भार या किसी भी योजना से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित योजनाओं की एसआईडी, एसएआई और परिशिष्ट पढ़ें।

9. पता परिवर्तन/स्वघोषणा/नवीनीकरण/संपर्क विवरण सीएएमएस की एएमएफआई यूनिट या सीएएमएस सेवा केंद्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत एएमसी/आरएंडटीएएस को।

10. 1 सितंबर, 2010 से प्रभावी, एएमएफआई ने नए एआरएन पंजीकरण और एआरएन नवीनीकरण के लिए सभी म्यूचुअल फंड वितरकों पर लागू अपने वितरक को जानें ("केवाईडी") मानदंड शुरू किए हैं। एएमएफआई द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, सलाहकारों को केवाईडी का अनुपालन करना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर कमीशन का भुगतान पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाएगा।

11. कमीशन दर समय-समय पर सेबी/एएमएफआई द्वारा निर्दिष्ट ईयूआईएन (कर्मचारी विशिष्ट पहचान संख्या) विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन है। वितरक को सभी लागू सेबी विनियमन/मध्यस्थों के लिए आचार संहिता पर परिपत्र और म्यूचुअल फंड वितरक के लिए सेबी/एएमएफआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि निवेशक को किसी भी रूप में कोई छूट नहीं दी जाए और किसी भी लाभ के लिए आवेदन का विभाजन न हो। नियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने, गलत बिक्री और आचार संहिता का पालन न करने या किसी भी कारण से भुगतान रोकने का अधिकार बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षित रखता है और नियमों के आधार पर वही निर्णय लिया जाएगा जिसे बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड उचित समझे।

12. क्लॉ बैक/वसूली: अगर वितरक को देय कमीशन किसी भी क्लॉ बैक राशि या किसी भी लंबित वसूली को वसूलने के लिए अपर्याप्त है तो वितरक को एक सूचना भेजी जाएगी जिसमें उसे एएमसी को पैसे वापस करने के लिए कहा जाएगा। अगर वितरक नोटिस प्राप्त होने की तारीख से1 महीने के अंदर पैसे का भुगतान नहीं करता है, तो एएमसी उचित समाधान के लिए एएमएफआई से संपर्क करेगी।

13. वितरकों को समय-समय पर लागू सेबी के सभी विनियमों का पालन करना होगा और विशेष रूप से वितरकों के लिए एएमएफआई द्वारा समय-समय पर जारी आचार संहिता और अन्य दिशानिर्देशों पर सेबी परिपत्र का पालन करना होगा।

14. कमीशन संरचना समय-समय पर समीक्षा के अधीन है और एएमसी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने सहित विभिन्न कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना के कमीशन संरचना/अवधि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

15. वितरक निवेशक को बताएगा कि खरीद/अतिरिक्त खरीद/स्विच-इन लेनदेन, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की व्यवस्थित निवेश योजनाओं/सिस्टमेटिक्स ट्रांसफर योजना के तहत पंजीकरण के लिए कोई एंट्री लोड नहीं लिया जाएगा।

16. कमीशन गणना और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में एएमसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

17. निवेशक द्वारा शुरू किए गए वितरक/एआरएन कोड के परिवर्तन के संबंध में एएमएफआई सर्वोत्तम अभ्यास परिपत्र संख्या 112/2023-24 के अनुसार, एएमसी यूनिटधारक डेटाबेस में वितरक कोड के परिवर्तन की तिथि से छह महीने की कूलिंग ऑफ अवधि के बाद हस्तांतरित वितरक को ट्रेल कमीशन का भुगतान करने पर विचार कर सकते हैं। नए (हस्तांतरित) वितरक को कमीशन का भुगतान हस्तान्तरणकर्ता और हस्तांतरित वितरक की कमीशन दर (वितरक कोड के परिवर्तन की तिथि पर लागू) में से कम पर आधारित होगा। 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान कोई कमीशन अर्जित नहीं होगा (यानी ब्रोकर कोड बदलने की तिथि से छह महीने की कूलिंग अवधि के लिए कोई ट्रेल कमीशन नहीं दिया जाएगा)।

18. वितरकों से अनुरोध है कि वे हमारी वेबसाइट www.boimf.in पर जाएं और योजना विवरण की पुष्टि के लिए नवीनतम योजना सूचना दस्तावेज (एसआईडी), अतिरिक्त सूचना विवरण (एसएआई) और मुख्य सूचना ज्ञापन (केआईएम) और समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न परिशिष्टों को पढ़ें।

19. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/आईएमडी/सीआईआर संख्या 4/168230/09 दिनांक 30 जून, 2009 के खंड 4(डी) के अनुसार, वितरकों को विभिन्न म्यूचुअल फंडों की विभिन्न प्रतिस्पर्धी योजनाओं के लिए उन्हें देय सभी कमीशन (ट्रेल कमीशन या किसी अन्य तरीके से) का खुलासा करना चाहिए, जिनमें से निवेशक को योजना की सिफारिश की जा रही है। वितरकों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

20. सेबी के पत्र संख्या SEBI/H0/IMD/IMD-SEC-3/P/OW/2023/5823/1 दिनांक 24 फरवरी, 2023 के अनुसार एएमएफआई को, बी-30 प्रोत्साहन संरचना को 1 मार्च, 2023 से स्थगित रखा गया है।

21. एएमएफआई दिशानिर्देश 135/बीपी/107/2023-24 दिनांक 04 मई, 2023 के अनुसार, यदि कोई व्यवसाय गैर-सूचीबद्ध वितरक द्वारा चलाया जाता है तो उसे "प्रत्यक्ष योजना" के तहत संसाधित किया जाएगा और वितरक को उस पर कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।